संख्या– 190 /पीएस,स.(प्र.)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग देहरादूनः दिनाँक 01 सितम्बर, 2020

विषयः– निजी क्षेत्र के गैर कोविड–19 चिकित्सालयों में कोविड मरीजों के उपचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप विदित ही हैं कि कोविड–19 संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 11 मार्च, 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में भी कोविड–19 संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति पाये जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी चिकित्सालय के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 166/पीएस,स.(I)/2020, दिनाँक 21 जुलाई, 2020, 1247/XXVIII-1/20-01(19)/2020, दिनाँक 21 अगस्त, 2020 तथा 1304/XXVIII-1/20-01(19)2020, दिनाँक 28 अगस्त, 2020 के द्वारा निजी चिकित्सालयों को भी कुछ शर्तों के अधीन कोविड–19 मरीजों के उपचार के लिए अधिकृत किया गया है।

2. वर्तमान परिस्थितियों में कोविड–19 मरीजों के लिए बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हों, को भी कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों के उपचार की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. ऐसे निजी चिकित्सालय जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें जनपदीय आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से उक्त अस्पताल में कोविड–19 के मरीजों के उपचार हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

1. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल जिसमें मैदानी क्षेत्र में कम से कम 40 बेड एवं पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 20 बेड COVID-19 मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध हों।
2. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में एक पूर्णकालिक फिजिशियन, एक पूर्णकालिक ऐनेस्थेटिस्ट तथा आवश्यकतानुसार जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) उपलब्ध हो।
3. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में COVID-19 मरीजों के उपचार के लिए न्यूनतम 03 बिस्तर का आईसीयू (ICU) उपलब्ध होना चाहिए।
4. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में Qualified एवं Trained नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता उपलब्ध होने चाहिए।
5. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में पैथोलॉजी लैब उपलब्ध होनी चाहिए।
6. ऐसे निजी क्षेत्र के अस्पताल में एक्स–रे तथा अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. यदि कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों के लिए सम्पूर्ण अस्पताल का उपयोग न किया जाना हो, तो ऐसी स्थिति में कोविड–19 के मरीजों के लिए पृथक से प्रवेश व निकास की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
9. अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
10. Infection Prevention and Control की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
11. सक्षम प्राधिकारी/राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण किया जाना चाहिए।

12. कोविड–19 से बचाव हेतु Social Distancing के साथ उपयुक्त लॉजिस्टिक यथा पी0पी0ई0 किट, एन–95/त्रिपल लेयर सर्जीकल मास्क, फैस शील्ड, सेनिटाइजर आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।
13. समर्पित कोविड–19 एम्बुलेंस (Dedicated Covid-19 Ambulance) की सुविधा होनी चाहिए।
14. इस प्रकार अधिकृत निजी चिकित्सालयों में COVID-19 मरीजों का उपचार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

कोविड–19 संक्रमण का उपचार भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाएगा एवं समस्त कोविड–19 से ग्रसित रोगियों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल जिला सर्विलांश अधिकारी को Real Time में उपलब्ध करानी होगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /पीएस/2020 तददिनांक।
प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मिशन निदेशक, एनएचम, देहरादून।
6. आईडीएसपी, एनएचएम, देहरादून।
7. चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, राज्य कोरोना नियंत्रण सैल, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।